



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21052020-219497  
CG-DL-E-21052020-219497

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1402]  
No. 1402]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 21, 2020/वैशाख 31, 1942  
NEW DELHI, THURSDAY, MAY 21, 2020/VAISAKHA 31, 1942

वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)  
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मई, 2020

**का.आ.1563(अ).** — आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की खण्ड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, केन्द्र सरकार एतद्वारा केरल सरकार द्वारा गठित बोर्ड, 'केरल कल्याण कोष बोर्ड', त्रिवेन्द्रम (पैन-AACTT3875A), को उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ उस बोर्ड को होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के बारे में अधिसूचित करती है, नामतः—

- (क) सदस्यता शुल्क
  - (ख) वार्षिक नवीकरण शुल्क
  - (ग) जोखिम कोष योगदान तथा सहायता और
  - (घ) उपर्युक्त (क) और (ग) पर अर्जित ब्याज
2. यह अधिसूचना उन शर्तों के अधीन प्रभावी होगी कि केरल सहकारी विकास एवं कल्याण कोष बोर्ड,—
- (क) किसी भी वाणिज्यिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा;
  - (ख) विनिर्दिष्ट आय की प्रकृति तथा गतिविधियां पूरे वित्त वर्ष के दौरान अपरिवर्तित रहेंगी;
  - (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा (4ग) की खण्ड (छ) के प्रावधानों के अनुसार आय की विवरणी दायर करेगा; तथा

(घ) चार्टर्ड अकाउंटेंट से इस प्रमाण पत्र के साथ कि उपरोक्त शर्तें संतोषजनक हैं, सहित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 288 (2) के स्पष्टीकरण में यथा प्रदान की गई अकाउंटेंट द्वारा विधिवत सत्यापित विवरणी के साथ लेखा परीक्षा रिपोर्ट दायर करेगा ।

3. यह अधिसूचना कर निर्धारण वर्ष 2019–20, 2020–2021, 2021–2022, 2022–2023 तथा 2023–2024 के बारे में लागू होगी ।

[अधिसूचना सं. 26 / 2020, फा.सं. 300196 / 9 / 2019—आईटीए—I]

प्रज्ञा पारमिता, निदेशक